RAF SECTOR

NEWS CLIP

24/12/19

TO SERVE HUMANITY WITH SENSITIVE POLICING

Hindustan Prayagraj (UP)

पुलिस ने रखा संयम नहीं बिगड़ा माहौल

प्रयागराज | वरिष्ठ संवाददाता

प्रयागराज पुलिस ने शुक्रवार को धैर्य का परिचय दिया। शालीनता से काम किया। कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। अराजक माहौल होने के बाद भी शांत रहे। किसी ने धक्का दिया तो उसे भी बर्दाश्त किया। धारा 144 का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह सड़क खाली कराई। ट्रैफिक डायवर्ट करके उनके लिए रास्ता दिया। धैर्यपूर्ण पुलिसिंग के कारण हजारों लोगों के सड़क पर आकर विरोध करने के बावजूद शांति व्यवस्था बनी रही।

एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने गुरुवार रात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर दिया था कि कैसे विरोध प्रदर्शन करने वालों से निपटना है। माहौल को भांप कर एसएसपी ने पुराने शहर में उन्हीं पुलिस अफसरों की ड्यूटी लगाई थी जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में माहिर हैं। विवादित सीओ और थानेदार को वहां से दूर रखा। जामा मस्जिद और अटाला स्थित मस्जिद में नमाज के बाद भीड़ को एकत्र करने का पुलिस को इनपुट मिला था। ऐसे में दोनों संवेदनशील जगहों को पुलिस छावनी बना दिया गया। एसपी सिटी बृजेश श्रीवास्तव को कोतवाली तो एसपी प्रोटोकॉल आशुतोष द्विवेदी को अटाला का प्रभारी बनाया गया था।

दोपहर में नमाज के बाद कोतवाली में भीड़ ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया। पुलिस से नोकझोंक की स्थिति बन गई लेकिन पुलिसकर्मी शांति व्यवस्था बनाए रखे। उधर अटाला में नमाज के बाद सैकड़ों किशोर सड़क पर आ गए। पुलिस के सामने खड़े हो गए। पहले तो पुलिस ने उन्हें समझाया और लौटने की अपील की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किशोर बड़े बुजुर्गों की बात सुनकर लौटे लेकिन अगले पांच मिनट में अचानक वापस आ गए। इस बार वे गुस्से में थे। पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ते चले गए। उनका यह रूप देखकर पुलिस अफसरों ने संयम बरता और उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। पुलिस अफसरों ने भीड़ को आगे निकलने के लिए खुद ही रास्ता बना दिया। रानीमंडी से आगे निकले तो ट्रैफिक पुलिस ने जानसेनगंज में ट्रैफिक डायवर्ट कर रास्ता खाली कराया। भीड़ को सिविल लाइंस आते देखा तो वहां भी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया लेकिन किसी के साथ कोई बदसलूकी की बात सामने नहीं आई। सिविल लाइंस तक यही सिलसिला बना रहा। शाहगंज समेत अन्य जगहों पर पुलिस ने जब रास्ता रोका तो धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए विवाद सामने आई। यह देख थानेदार सामने आए और किसी को रोका नहीं। इस निर्णय से विरोध करने वाले भी शांत हो गए।

शुक्रवार दोपहर कोतवाली के बाहर मुस्तैद आरएएफ और पुलिस के जवान।

शिकंजा:यूपी में उपद्रवियों की धरपकड़ तेज

लखनऊ | हिन्दुस्तान टीम

शासन की सख्ती के बाद यूपी के विभिन्न हिस्सों में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला कम हुआ है। रविवार को चंद घटनाओं को छोड़कर आमतौर पर शांति रही। पुलिस ने अब उपद्रवियों की धरपकड़ तेज कर दी है।

दो दिन से हिंसा की आग में सुलग रहा कानपुर रविवार को पूरी तरह से शांत रहा। कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं, बाबूपुरवा में हिंसक संघर्ष में गोली लगने से घायल तीसरे युवक की हैलट अस्पताल में मौत हो गई। उसे शनिवार को भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक अधिक रक्तस्राव के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। उधर, शनिवार को यतीमखाना में बवाल करने और पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आठ उपद्रवियों को रविवार को जेल भेज दिया गया है। वहीं, 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।

कन्नौज पुलिस ने रविवार को प्रदर्शन की आशंका पर पुलिस ने सुबह होते ही सपा के पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी, इड़वाबुजुर्ग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अयाज खां समेत चार लोगों नजरबंद कर दिया। इसके अलावा नगर में जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहा। इसके अलावा भी प्रदेश के कई हिस्सों में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। फिरोजाबाद के सुहाग नगरी में हुई हिंसा के बाद नगर को सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। जवानों ने रविवार को फ्लैग मार्च किया। जवानों का मार्च रसूलपुर थाने से शुरू हुआ। वहां से नालबंदान, इमामबाड़ा, मोहम्मदगंज, राजपूताना, हाईवे के साथ-साथ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। उनके साथ थाना उत्तर, दक्षिण, रसूलपुर, रामगढ़ के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस बल ने भी हिस्सा लिया।

लखनऊ में रविवार को विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सड़क पर फ्लैग मार्च करते जवान। • ऐट

647 कारतूस के खोखे बरामद किए गए

69 जिंदा कारतूस बरामद हुए इस दौरान

288 पुलिसकर्मी घायल हुए विरोध प्रदर्शन के वक्त

फिरोजाबाद : 15 केस दर्ज

फिरोजाबाद में बवाल के मामले में अब तक 15 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं पीड़ित अपनी क्षति के मुकदमे दर्ज करा रहे हैं।

देवबंद में धरना

जमीयत उलेमा-ए-हिंद (महमूद मदनी गुट) के अह्वान पर ईदगाह मैदान में धरना दिया गया। इसके बाद 313 लोगों ने गिरफ्तारी दी।

अलीगढ़ : 35 उपद्रवियों के पोस्टर जारी

अलीगढ़ में पुलिस ने वीडियो फुटेज से पथराव करने वाले 35 उपद्रवियों को चिह्नित कर उनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दिए। पुलिस उनके नाम-पते जुटाना शुरू कर दिया है। कुछ उपद्रवियों को चिह्नित कर लिया गया है। साथ ही उनकी तलाश में ताबड़तोड़ दबिश भी शुरू कर दी है।

गोरखपुर : 23 गिरफ्तार

गोरखपुर पुलिस ने पथराव करने के तीन आरोपितों समेत 23 को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। इनमें से 20 की शांतिभंग में गिरफ्तार हुई है।

महाराजगंज : नौ को जेल

महाराजगंज में जुलूस निकालने की कोशिश में गिरफ्तार भीम आर्मी के नौ लोगों को शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

Prabhat Khabar Jamshedpur (JKD)

शहर में रही कड़ी सुरक्षा, चौक-चौराहों पर तैनात थी पुलिस

जमशेदपुर. सोमवार को मतगणना के मद्देनजर को-ऑपरेटिव कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र के अलावा शहर के चौक-चौराहों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. मतगणना स्थल पर जिला पुलिस के अलावा रैफ के जवान भी तैनात थे. केंद्र की ओर वाहनों को ले जाने पर रोक थी. तीन चरण में बैरिकेडिंग की व्यवस्था थी. मेन रोड पर रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के पास ही वाहनों को रोका जा रहा था. को-ओपरेटिव कॉलेज मोड़ से आगे आम आदमी को जाने नहीं दिया जा रहा था. रैफ के जवान को-ऑपरेटिव कॉलेज मोड़ के पास तैनात थे. टेल्को क्षेत्र में थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस निगरानी रख रही थी.

I Next Prayagraj (UP)

विभिन्न जगहों पर तैनात रही आरएएफ.

Dainik Jagran Prayagraj (UP)

प्रदर्शनकारियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस

कई छात्रनेताओं पर पहले से दर्ज हैं मुकदमे, गतिविधियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर

सिविल लाइंस में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान भारी फोर्स रही तैनात • जागरण

जासं, प्रयागराज : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सड़क पर हंगामा और बखेड़ा करने वाले ऐसे शख्स जिनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा।

पुलिस अधिकारियों का दावा है कि कतिपय छात्रनेताओं के अलावा खुद को विभिन्न राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताकर तमाम युवक ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। अभी तक जांच में पता चला है कि कर्नलगंज में प्रदर्शन करने वाले युवकों में ज्यादा छात्रसंघ के पदाधिकारी रह चुके हैं। तमाम खुद को छात्रनेता भी बता रहे हैं। निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी वे सड़क पर उतरकर शांति व्यवस्था में खलल पैदा कर रहे हैं।

अब तक विरोध प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध कर्नलगंज, कीडगंज, सिविल लाइंस समेत कई थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। नामजद किए गए आरोपितों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। इनके बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर पुलिस गिरफ्तारी समेत दूसरी वैधानिक कार्रवाई करेगी। एसपी सिटी बृजेश श्रीवास्तव का कहना है कि शांति-व्यवस्था में खलल पैदा करने वालों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस रिकार्ड में जिनके विरुद्ध कई आपराधिक अथवा दूसरे तरह के मुकदमे हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

एफबी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर केस

प्रयागराज : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रविंद्र प्रताप सिंह की तहरीर पर फेसबुक यूजर आबिद शफीक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। आरोप है कि आबिद ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। इससे सामाजिक समरसता प्रभावित हुई है। पुलिस साइबर सेल की मदद से अभियुक्त के बारे में जानकारी जुटा रही है।

Hindustan Prayagraj (UP)

एक नजर में

सिविल लाइंस में प्रदर्शन के दौरान वज्र वाहन पर तैनात जवान ● जागरण

Hindustan Prayagraj (UP)

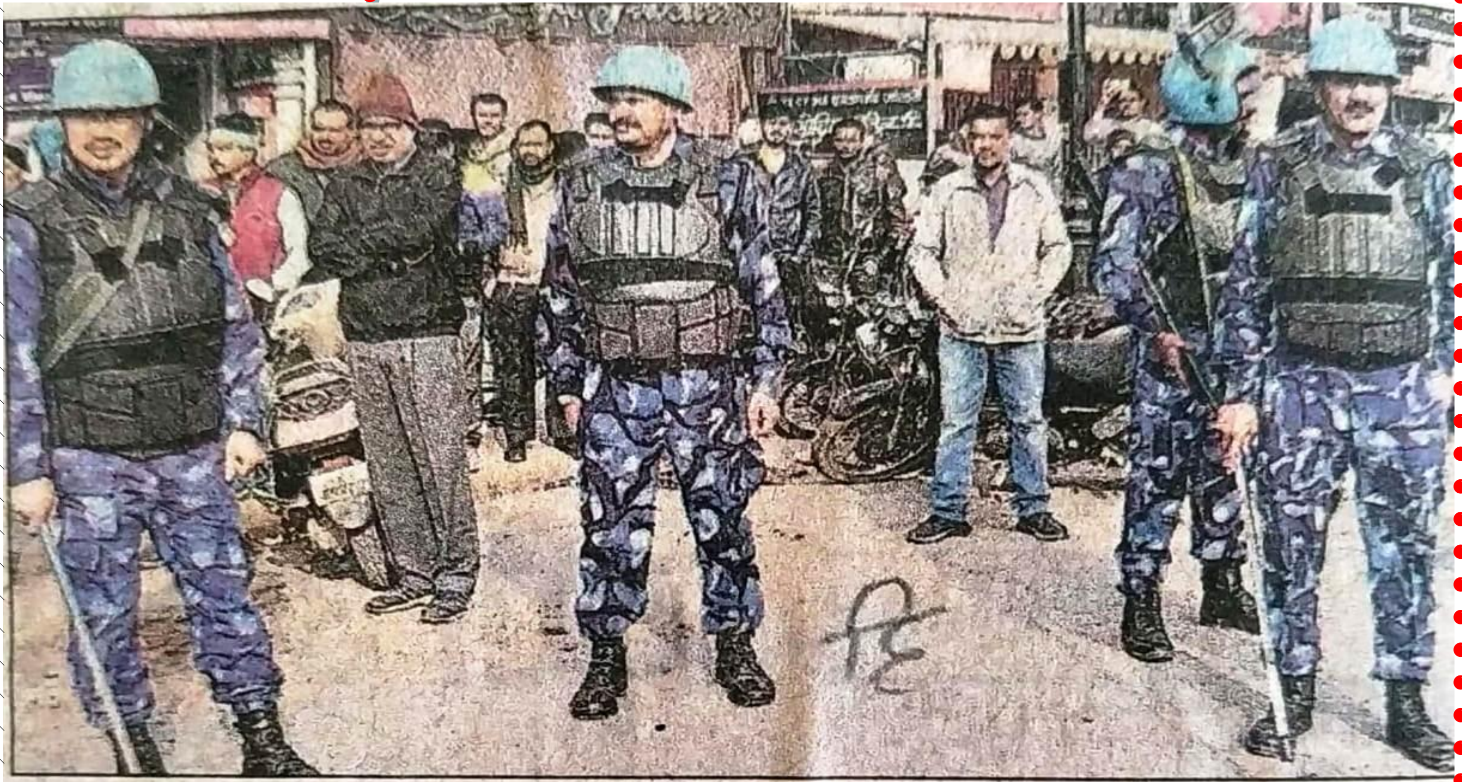

गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्तैद रहे आरएएफ के जवान। ● हिन्दुस्तान

Dainik Jagran Prayagraj (UP)

दुरुस्त अल्फाज़ में शांतिपूर्ण ढंग से दर्ज कराएं विरोध

मस्जिदों में जुमे की नमाज के वक्त तकरीर से पहले हुए बयान, चौक जामा मस्जिद में शहर-ए-काजी ने अदा कराई नमाज

जासं, प्रयागराज : कौम और देश हित के खिलाफ अगर कोई कानून लाया गया है तो उस पर ऐतराज जताने का सभी को पूरा हक है लेकिन, ख्याल रहे कि मुखालफत शांतिपूर्ण हो। कोई हिंसा का रास्ता न अख्तियार करे और दुरुस्त अल्फाज तथा अमनचैन कायम रखते हुए विरोध दर्ज कराएं।

शहर की जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में शुक्रवार को हुई जुमे की नमाज में नमाजियों को कुछ यही संदेश दिए गए। चौक जामा मस्जिद में शहर-ए-काजी सैयद कारी मकबूल हुसैन हबीबी ने तो अन्य मस्जिदों में वहां के पेश इमाम ने नमाज अदा कराई।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के गरमाए माहौल के बीच सहमे लोग• जागरण

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ इन दिनों हर जगह विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को मस्जिदों में जुमे की नमाज काफी अहम मानी जा रही थी। हुआ भी वैसा ही। मस्जिदों में नमाज के ठीक बाद सड़क पर विरोध प्रदर्शन की पूर्व सूचना के चलते पुलिस और प्रशासन ने रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किए थे। जबकि नमाजियों को नियंत्रण में रखने की तैयारी मस्जिदों में भी पूरी तरह से थी। तकरीर से पहले चौक जामा मस्जिद में शहर-ए-काजी सैयद कारी मकबूल हुसैन हबीबी ने नमाजियों से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराने की अपील की। शहर में सेवई मंडी की गोला मस्जिद, नखास कोहना की मस्जिद, दायराशाह अजमल, डॉ काटजू रोड, गौस नगर सहित शहर की दो दर्जन प्रमुख मस्जिदों और जिले भर में करीब 200 मस्जिदों में जुमे की नमाज दोपहर करीब डेढ़ बजे अदा हुई। नमाज अदा होने के बाद मस्जिदों से निकलने से पहले भी नमाजियों को ऐलान कर शांति बरतने की ताकीद की गई। सुरक्षा के मद्देनजर एडीजी जोन सुजीत पांडेय, कमिश्नर डॉ. आशीष गोयल, पीडीए उपाध्यक्ष टीके शीबू भी सड़क पर उतरकर नजर बनाए रहे। इनके अलावा एसपी सिटी बृजेश श्रीवास्तव, एसपी प्रोटोकॉल आशुतोष द्विवेदी, एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा और एसपी ट्रैफिक कुलदीप सिंह टीमों के साथ मुस्तैद रहे।

अधिवक्ता रैली के साथ डीएम को ज्ञापन देंगे : जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री राकेश कुमार दुबे के अनुसार शनिवार को संघ के पदाधिकारी व सदस्य संघ भवन से 11 बजे रैली निकालेंगे तथा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। इस रैली का उद्देश्य नागरिकता संशोधन कानून एवं इसके संबंध में पैदा की जा रही भ्रामक स्थिति को स्पष्ट करना है।

सुभाष चौराहे पर सौंपा ज्ञापन

लोगों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को कोसा और कई तरह के आरोप लगाते हुए कानून को वापस लेने की मांग की। जुलूसों में शामिल युवक पुराने शहर में प्रदर्शन करने के बाद सिविल लाइंस सुभाष चौराहे पहुंचे, जहां डीएम को ज्ञापन सौंपा। फिर नवाब युसुफ रोड की तरफ चले गए। कुछ प्रदर्शनकारी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस और आरएएफ जवानों ने रोक दिया।

नाबालिग भी करते रहे नारेबाजी

पुराने शहर से लेकर सिविल लाइंस तक प्रदर्शन करने वालों में युवा, बुजुर्ग के अलावा सैकड़ों नाबालिग भी शामिल थे। सभी नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा झंडा भी लहराया, जिस पर कई लोगों कहना था कि पुलिस से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर तैनात आरएएफ के जवान • जागरण

नखास कोहना पर अत्याधुनिक हथियार के साथ मुस्तैद आरएएफ का जवान• जागरण

Hindustan Prayagraj (UP)

कोतवाली के बाहर सड़क पर मुस्तैद रहे आरएएफ के जवान। • हिन्दुस्तान

NavBharat Times Lucknow (UP)

वाजपेयी सरकार के ऐसे ही कानून का यूपीए में शामिल सारे दलों ने भी समर्थन किया था

सीएए पर भ्रम फैलाकर डराया जा रहा है

प्रकाश जावडेकर

देश भर में नागरिकता कानून के संबंध में चर्चा चल रही है और गलतफहमी के शिकार लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। कुछ राजनीतिक दल और मोदी विरोधी इसे अवसर मानकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वास्तविकता साफ करना जरूरी है। सबसे पहले यह साफ होना चाहिए कि नागरिकता संशोधन बिल-2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ये दो अलग विषय हैं। आज इन दोनों विषयों को मिला कर अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों में झूठा डर पैदा किया गया है कि अब इन सारे कदमों से मुसलमानों का संरक्षण समाप्त हो जाएगा और उन्हें बाहरी घोषित किया जाएगा। इससे बड़ा झूठ राजनीति में आज तक कभी भी मंडित नहीं किया गया।

गांधी, नेहरू और पटेल

आइए नागरिकता संशोधन बिल को समझें। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों विभाजन के समय भारत का हिस्सा थे और अफगानिस्तान पहले से विशाल भारत का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की निर्मिति मजहब के आधार पर हुई और अनेक अल्पसंख्यक मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान में गए। उसी दौरान वहां से हिंदू बड़ी संख्या में भारत आए। शरणार्थियों को भारत में बसाया गया। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था, 'एक ही भारत के अब दो टुकड़े हुए हैं। भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है।' यही बात पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने भी कही। उस समय भारत आए लाखों शरणार्थियों को नागरिकता भी दी गई। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों घोषित इस्लामिक देश हैं। इसलिए वहां मुसलमानों की धार्मिक प्रताड़ना का सवाल नहीं उठता।

भारत में देश का मजहब कोई पंथ नहीं बल्कि संविधान है। इसलिए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीति भारत ने सदा अपनाई है। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पहली दफा इसे कानूनी जामा पहनाया और साफ किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। आश्चर्य की बात है कि आज आंदोलन करने वाले अनेक दल उस समय अटल जी की इस पहल का समर्थन कर रहे थे। उसके बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में मनमोहन सरकार बनी। उसने संसद में इसी बिल को फिर से पारित करके उसकी समयावधि 1 साल के लिए बढ़ा दी। 2005 में इस कानून की वैधता 1 साल और बढ़ाई गई। उस समय उनके साथी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस और वे सभी दल थे जो आज इसके विरोध में बोल रहे हैं।

> एक प्रश्न आज लोग पूछते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों? इसका उत्तर है कि मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और न होगा

2003 का कानून केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं की बात करता है। आज का कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी सबकी बात करता है जिनकी धार्मिक प्रताड़ना होती आ रही है। अभी 2019 में मोदी सरकार जो नागरिकता संशोधन कानून लाई है, वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले उन धार्मिक समुदायों के लिए है जो प्रताड़ना के शिकार होते हैं। ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध पंथों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की व्यवस्था इस कानून में है। यह पहले से ज्यादा व्यापक है। वास्तव में, सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन राजनीति के कारण आज कुछ विपक्षी दल 2004 और 2005 में ली गई भूमिका के विपरीत खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। यह पाखंड है।

PTI

जहां-तहां हिंसक रूप ले रहा नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन

एक प्रश्न आज लोग पूछते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों? इसका उत्तर है कि मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और न होगा। आज देश के जो नागरिक हैं उनमें से एक भी मुसलमान को कोई तकलीफ या असुविधा नहीं होगी और न उसकी देशभक्ति पर कोई आशंका उठेगी। यह प्रश्न भारत के नागरिकों का है ही नहीं। इसका संबंध तीन देशों से आए हुए शरणार्थियों से है। चूंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं, वहां मुस्लिम समाज को धार्मिक प्रताड़ना का शिकार नहीं बनना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री के एक सवाल का जवाब एक भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया है। क्या इन तीन देशों के मुसलमानों को भारत आने की खुली छूट देनी चाहिए? 30 करोड़ आबादी को भारत की नागरिकता देने के लिए क्या विपक्ष तैयार है और क्या यह उचित है?

दुनिया में कोई भी देश नागरिकता आसानी से नहीं देता। हर देश के अपने कानून हैं और हर देश में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाता है। यह दुनिया का रिवाज है। भारत ने भी वही नीति अपनाई तो उस पर आपत्ति करते हैं। और अभी तो एनआरसी की रूपरेखा भी सामने नहीं आई है। अभी से विवाद पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। आधार कार्ड की शुरुआत हुई तो कई लोग कहते थे कि गरीब कहां से कागज लाएगा? पहचान कैसे बताएगा? कहां से प्रक्रिया पूरी कर सकेगा? आज 10 साल बाद हम देख रहे हैं कि भारत के लगभग सभी नागरिकों ने आधार कार्ड प्राप्त कर लिया है। आशंका उठाने वालों से ज्यादा होशियारी से सामान्य जनता काम करती है, यही इसका अर्थ है। अभी केवल नागरिकता संशोधन कानून आया है। एनआरसी की केवल चर्चा है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के 130 करोड़ नागरिकों में से एक नागरिक को भी एनआरसी से बाहर नहीं रखा जाएगा और किसी को भी डरने की या संभ्रमित होने की जरूरत नहीं है।

नाकारा सोच

आज जिस तरह से जान-बूझकर कुछ तत्व हिंसा फैला रहे हैं, उसका तथ्य भी जल्दी सामने आएगा। मोदी जी की ऐतिहासिक दूसरी बार जीत, ट्रिपल तलाक बिल, अयोध्या मसले का शांतिपूर्ण समाधान, धारा-370 का रद्द होना, इन सबमें विपक्ष कुछ कर नहीं पाया। वह गुस्सा उनके मन में ठूंस-ठूंस कर भरा था। अब एक संभ्रम पैदा करने का अवसर मिला तो उसी का फायदा विपक्षी दल उठाना चाहते हैं। लेकिन देश में ऐसी नाकारा सोच की राजनीति सफल नहीं होती है।

(लेखक केंद्रीय मंत्री हैं)

The Hindu Lucknow (UP)

Tight vigil: Security personnel taking out a flag march n Lucknow on Saturday. ▪AP

Times Of India Lucknow (UP)

Security personnel patrol a street in Moradabad on Sunday

Hindustan Jamshedpur (JKD)

टकराव रोकने के लिए रैफ थी तैनात

विस चुनाव

सुरक्षा

- पूरे मतगणना केन्द्र इलाके में चार कंपनी फोर्स थी
- क्यूआरटी को शहरी इलाके में किया गया था तैनात

जमशेदपुर | संवाददाता

को-ऑपरेटिव कॉलेज मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की दो कंपनी तैनात की गई थी। आशंका यह थी कि यहां राजनीतिक दलों के बीच टकराव हो सकता है। लेकिन, जिस तरह से यहां विभिन्न दलों के बीच जीत का समां बंधा कि सभी दल एक होकर नाचने लगे। सुरक्षा व्यवस्था को चार स्तर पर तैनात किया गया था। पहला पड़ाव एक्सएलआरआई मोड़ के पास था, जहां से वाहनों को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। दूसरा पड़ाव कोऑपरेटिव कॉलेज मोड़ के पास था, जहां बैरियर लगा था और बिना पास के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तीसरा पड़ाव को-ऑपरेटिव कॉलेज गेट के पास था, जहां से सामान और पास की जांच की जा रही थी और चौथा पढ़ाओ अंदर लाइब्रेरी के पास बना हुआ था। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण कई बार टकराव की स्थिति बनी, हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने सूझबूझ का परिचय दिया।

Scanned with CamScanner

Hindustan Jamshedpur (JKD)

Scanned with CamScanner

Dainik Jagran Jamshedpur (JKD)

मतगणना स्थल के बाहर तैनात सीआरपीएफ व पुलिस के जवान ● जागरण

Scanned with CamScanner

Photos of Deployment/ Fam-Ex Of RAF

सी0आर0पी0एफ0 सदा अजेय, भारत माता की जय।